संख्याः 59 /VII-1/17/123-ख/2011

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1 **देहरादून : दिनांकः 16 मार्च, 2017**

विषयः जनपद देहरादून के आरक्षित वन क्षेत्रान्तर्गत स्थित खनन लाट सौंग नदी-3, जाखन नदी-1 एवं जाखन नदी-2 में उपखनिज के चुगान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या-916/खनन/दे0दून/भू0खनि0ई0/2016-17 दिनांक 30 जनवरी, 2017 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-08-62/99-FC दिनांक 26 मई, 2008 के द्वारा जनपद देहरादून के आरक्षित वन क्षेत्रान्तर्गत स्थित खनन लाट सौंग नदी-3 कुल क्षेत्रफल 270 है0 मध्ये 135 है0, जाखन नदी-1 कुल क्षेत्रफल 195 है0 मध्ये 97.5 है0 एवं जाखन नदी-2 कुल क्षेत्रफल 100 है0 मध्ये 50.00 है0 क्षेत्र में उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर के चुगान हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत Forest Clearance 10 वर्ष की अवधि अर्थात् 25.05.2019 तक अनुमति प्रदान की गयी है, के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-490/VII-1/2012/123-ख/2011 दिनांक 03 अप्रैल, 2012 के द्वारा उक्त खनन लाटों से 05 वर्ष की अवधि हेतु उपखनिजों के चुगान हेतु उत्तराखण्ड वन विकास निगम को कतिपय शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की गयी, जो दिनांक **02.04.2017** को समाप्त हो रही है।

2- उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 में पूर्व स्वीकृत खनन पट्टों की अवधि विस्तारित किये जाने का प्रावधान न होने के कारण शासनादेश संख्या-490/VII-1/2012/123-ख/2011 दिनांक 03 अप्रैल, 2012 के द्वारा जनपद देहरादून के आरक्षित वन क्षेत्रान्तर्गत स्थित खनन लाट सौंग नदी-3 कुल क्षेत्रफल 270 है0 मध्ये 135 है0, जाखन नदी-1 कुल क्षेत्रफल 195 है0 मध्ये 97.5 है0 एवं जाखन नदी-2 कुल क्षेत्रफल 100 है0 मध्ये 50.00 है0 क्षेत्र में 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत खनन पट्टे की अवधि समाप्त होने के पश्चात् वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत निर्गत Forest Clearance 10 वर्ष की अवधि अर्थात् 25.5.2019 तक होने के दृष्टिगत **दिनांक 03.04.2017 से दिनांक 25.05.2019 तक** उक्त शासनादेश दिनांक 03 अप्रैल, 2012 में निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों तथा उत्तराखण्ड उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) चुगान नीति, 2016 के प्रावधानों का अनुपालन किये जाने के अधीन उपखनिज का चुगान कार्य करने की अनुमति उत्तराखण्ड वन विकास निगम को प्रदान की जाती है।

3- यह अनुमति दिनांक 03.04.2017 से प्रभावी होगी।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
सचिव

उ0व0वि0नि0, शिविर कार्यालय, देहरादून।
प्राप्ति क्र. 10054 दिनांक 18/03/17

अधि0	विधि.	ई0पी0एफ0	नियोजन
लेखा	शिविर	आर0टी0आई0	विपणन
ऑडिट	भण्डार	भवन प्रभारी	खनन
पी0एस0			

MD/GM/RM/OS

-2

संख्याः 59 (1)/VII-1/17/123–ख/2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी०जी०ओ० काम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. अपर सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
5. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)
उप सचिव